

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान भजन लाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 30/2025

निर्णय दिनांक 09/04/2025

भजन लाल पुत्र जगु राम जाति मेघवाल निवासी सोमसीसर तहसील तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट


--:निर्णय:-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 592/104 तादादी 5.5638 हैक्ट. खसरा सं. 90 तादादी 0.0632 हैक्ट. में से प्रार्थी के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भजनाराम पुत्र जगुराम अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि पहचान-पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड तथा श्रमिक कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भजन लाल पुत्र जगु राम है। प्रार्थी जमाबंदी में अपना नाम भजनाराम पुत्र जगुराम के स्थान पर भजन लाल पुत्र जगु राम करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरुस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 592/104 तादादी 5.5638 हैक्ट., खसरा सं. 90 तादादी 0.0632 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम भजन लाल पुत्र जगु राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम भजनाराम पुत्र जगुराम व भजन लाल पुत्र जगु राम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज पहचान-पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड से प्रार्थी का नाम भजन लाल पुत्र जगु राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भजनाराम पुत्र जगुराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सोमसीसर तहसील तारानगर के खसरा सं. 592/104 तादादी 5.5638 हैक्ट., खसरा सं. 90 तादादी 0.0632 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **भजनाराम पुत्र जगुराम Delete** कर इसके स्थान पर **भजन लाल पुत्र जगु राम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/04/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)